(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जयश्री कंवर. बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 36/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जयश्री कंवर पता डी–29, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.12.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत गड़ा (शेरगढ, जोधपुर) उचित मूल्य की दूकान मै0 मालमसिंह आंवटित राशन के वितरण रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति (समयावधि 2008 से 30 नम्बर 2018 तक) , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर) से जरिये पत्रांक 33 दिनांक 19.02.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि आवेदक जयश्री कंवर को कार्यालय के पत्र कमांक 25 दिनांक 06.02.19 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि उनके द्वारा चाही गई सूचना विभागीय पोर्टल www.food.raj.nic.in पर उपलब्ध है। वे विभागीय पोर्टल से भी सूचना प्राप्त कर सकते है, पत्र की छाया पत्र संलग्न है। उक्त रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है, प्रथमतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियत अवधि 30 दिवस में कार्यवाही नहीं कर अपील दायर होने के पश्चात खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया, द्वितीयत् प्रार्थी द्वारा वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति चाही गई है यदि सूचना विभागीय पोर्टल पर सूचना उपलब्ध है तो वो सूचना निकाल कर प्रमाणित करते हुए प्रार्थी को उपलब्ध करानी चाहिए अतः लोक सूचना अधिकारी ऐसा नहीं कराना अधिनियम के प्रावधानों को आत्मसात् न करने का फल है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय नियमों के तहत जो सूचना रिकार्ड पर याः विभागीय पोर्टल www.food.raj.nic.in पर उपलब्ध है वहां से प्राप्त कर प्रमाणित करते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाय। आदेष सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित करें।	